अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –226001
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377(O)
फैक्स – (0522) 2288410
CIN : 32201UP1999SGC024928

पत्र संख्या : 635 मु0अभि0 (वाणिज्य–2)/रेड इकाई,

दिनांक : 05/10/2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

विषयः– माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 05.10.2018 को दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 05.10.2018 को शक्ति भवन में की गयी बैठक में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध उपभोक्ता परिसरों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित आदेश दिये गये हैं:–

1. रेड्स की कार्यवाही के दौरान विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं के विरूद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से राजस्व निर्धारण किया जा रहा है, जिसके कारण राजस्व निर्धारण की वसूली लम्बित रहती है एवं गलत राजस्व निर्धारण के कारण विभाग की छवि धूमिल होती है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में विद्युत चोरी अथवा विद्युत के अनाधिकृत उपभोग करते पकड़े गये उपभोक्ताओं के प्रकरणो में राजस्व निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कारपोरेशन के पत्र संख्या–48–पीएसडीसी/पाकालि/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिससे उपभोक्ताओं के विरूद्ध सही राजस्व निर्धारण किया जा सके एवं भविष्य में विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

2. विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं एवं व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्व निर्धारण के बिलों को किस्तों में भुगतान किये जाने की सुविधा दी जाये।

उपर्युक्त सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र संख्या–539–मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक 01.09.2018 एवं पत्र संख्या–540–मु0अभि0(वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक 04.09.2018 का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. प्रत्येक विद्युत उपकेन्द्र से पोषित 5 किलोवाट एवं उससे अधिक विद्युत भार वाले, एल.टी. एवं एच.टी. उपभोक्ताओं की श्रेणीवार सूची तैयार कर ली जाय। प्रत्येक वितरण क्षेत्र में उपभोक्ता परिसरों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु रणनीति तैयार कर ली जाय। 5 किलोवाट एवं उससे अधिक विद्युत भार के परिसरों में रेड की कार्यवाही एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराने की वीडियो ग्राफी भी करा ली जाय।

प्रत्येक रेड टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर में रेड्स की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त उसी दिन विद्युत उपकेन्द्र अथवा सम्बन्धित विद्युत कार्यालय में आकर रेड्स से सम्बन्धित कार्यवाही की गुणवत्ता (Effectiveness of Raids Conducted) का विवरण तैयार कर लिया जाये।

4. जिन क्षेत्रों में निर्धारित तिथि/कार्यक्रमानुसार रेड्स/चेकिंग की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, उन क्षेत्रों से सम्बन्धित विद्युत उपकेन्द्रों/कैश काउन्टर पर विभागीय कार्मिकों की उपलब्धता बनी रहे, जिससे इच्छुक उपभोक्ताओं द्वारा विभागीय बकाया बिल जमा करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

5. 5 किलोवाट से कम विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं के परिसरों में विद्युत चोरी की शिकायत होने पर सतर्कता स्कन्ध के पुलिस कान्सटेबल एवं विभागीय तकनीकी कार्मिकों द्वारा चेकिंग की जाये, जिससे विद्युत चोरी के विरूद्ध विभाग द्वारा की जा रही रेड्स की कार्यवाही से सचेत होते हुए उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत चोरी के माध्यम से विद्युत का उपभोग किये जाने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सके।

6. दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0 एवं केस्को के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में वितरण निगम के भौगोलिक क्षेत्र सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिस कारण उन क्षेत्रों में रेड्स की कार्यवाही प्रभावी ढंग से नहीं होती है। उपर्युक्त सम्बन्ध में दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0 एवं केस्को के निदेशक (वाणिज्य) यह सुनिश्चित कर ले कि उनके वितरण निगम के नियन्त्रणाधीन किसी भी क्षेत्र में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय नियन्त्रण सम्बन्धी कोई विवाद न रहे एवं सम्बन्धित विद्युत उपकेन्द्र द्वारा पोषित उपभोक्ताओं के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर रेड्स की कार्यवाही की रणनीति के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जाय।

7. वितरण निगमों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि विभिन्न क्षेत्रों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने एवं विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं के विरूद्ध अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित किये जाने में विभागीय कार्मिकों द्वारा किसी प्रकार के अनुचित तरीकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है एवं उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी जा रही है। विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्तओं के विरूद्ध राजस्व निर्धारण एवं वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

8. सभी वितरण निगमों द्वारा रेड्स की कार्यवाही हेतु तैयार की गयी रणनीति एवं उसके कियान्वयन के सम्बन्ध में विवरण पावर कारपोरेशन मुख्यालय को भी सूचित किया जाय।

9. वितरण निगमों के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में रू0 50,000 तक एवं उससे अधिक विद्युत बकाया वाले उपभोक्ताओं की अलग–अलग सूची तैयार कर उनसे बकाया धनराशि की वसूली किये जाने हेतु रणनीति तैयार कर ली जाय एवं वितरण निगम मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपर्युक्त सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र संख्या–659–स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2018 दिनांक 05.09.2018 के माध्यम से अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये आदेशो का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

10. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल अथवा बकाया जमा करने सम्बन्धी दिक्कतों के दृष्टिगत रेड्स की कार्यवाही करते समय मोबाइल कलैक्शन वैन उपलब्ध करायी जाये जिससे उपभोक्ता अपने विद्युत बिल अथवा बकाया बिल का भुगतान आसानी से कर सके।

उपभोक्ताओं द्वारा अपने विद्युत बकायों के Online भुगतान की सुविधा का उपयोग करने हेतु Set of Instructions की उपलब्धता करायी जाये, जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत बिलो का Online भुगतान किये जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

इस सम्बन्ध में कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल जमा करते समय Internet अथवा अन्य तकनीकी सम्स्याओं के कारण विद्युत बिलों के भुगतान में आने वाली परेशानियों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय एवं वितरण निगमों द्वारा सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

11. विद्युत चोरी के विरूद्ध रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के उपरान्त जिन उपभोक्ताओं का संयोजन विच्छेदित किया जाता है उनके परिसरो पर विभाग द्वारा विच्छेदित संयोजन की वस्तुस्थिति जानने हेतु पुनः चेकिंग की जाये। यदि किसी क्षेत्र में विच्छेदित विद्युत संयोजन की चेकिंग के समय संयोजन पुनः संयोजित पाया जाता है तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्र के कार्मिकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपर्युक्त सबन्ध में मा0 ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर से वितरण निगम के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं वितरण निगम मुख्यालय स्तर पर निगम के नियन्त्रणाधीन वितरण क्षेत्रों में मा0 ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन का अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

भवदीया,

Aparna. U.

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक
5/10/18

पत्रांकः 635/मु0अभि0(वाणिज्य–II)/तद्दिनांकः 05/10/2018

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, उ0प्र0 सरकार के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ को महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
2. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव/स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. निदेशक (वाणिज्य)/(कार्मिक), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, एवं केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, एवं केस्को, कानपुर।

Aparna. U.

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक
5/10/18